

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/3/25

पत्रावली पेश हुई, व कुलाप उपस्थित,  
प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए अवसर  
चाहा गया, बहस हेतु अंतिम अवसर दिया  
जा कर पत्रावली 24.3.25 को पेश हो  
882

24/3/25

वकील उग्रपक्ष उपर बहस हेतु अंतिम अवसर दिया  
जाता है पत्रावली दिनांक 17/4/25 को पेश हो  
882

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/  
कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राजकार्य में  
बहस होने कारण दिनांक 17/4/25  
को राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख  
पेशी दिनांक 23/5/25  
नियत की जाती है।

पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/  
कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राजकार्य में  
बहस होने कारण दिनांक 23/05/25  
को राजस्व मुकदमा में आगामी तारीख  
पेशी दिनांक 04/6/25  
नियत की जाती है।

4/6/25

वकील उग्रपक्ष उपर बहस वकील उग्रपक्ष सुनी गई  
पार्थी द्वारा अपार्थीगण को अस्थायी निर्बंधात्मक  
पाबन्द किया जाने हेतु निर्बंध किया गया। पत्रावली  
पर उपलब्ध दस्तावेज व बहस वकील उग्रपक्ष का  
भवन किया गया। पार्थी प्रकरण में (वालेगरी) काश्त  
कार है पार्थी की (वालेगरी) भूमि पर अन्य कोई  
बाधा उत्पन्न करता है तो पार्थी को अप्रवृत्त  
क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला पार्थी के पक्ष में  
प्रतिष्ठित होता है। पार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाता है अपार्थीगणों को तात्कालिक अस्थायी  
निर्बंधात्मक से पाबन्द किया जाता है कि पार्थी की  
खतेगरी कब्जे काश्त की भूमि खण्ड 437 खण्ड 1-4 व  
खण्ड 438 खण्ड 1 वीधा, खण्ड 648, 649, 650 खण्ड

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामीर में जारी हुए

17 बिल्वा वंके ग्राम बागीरा में बिस्वी प्रकार  
की बाधा उत्पन्न ना हो स्वयं करें और बाधी  
बिस्वी इन्त्य से करावे। तत्रावली-पुसलशुभा  
टीकर गम्बर से कम ही तथा बाड लक्मील  
दावे के साथ लगन ही. 882